बकर हुसैन और अन्य इत्यादि

बनाम

जिला परिषद, मेडक इत्यादि

28 अप्रैल, 1992

(ललित मोहन शर्मा और एम. फातिमा बीवी, जे.जे.)

ए.पी. पंचायत समितियां और जिला परिषद अधिनियम, 1959: धारा 69 ए.पी. पंचायत समितियां और जिला परिषद मंत्रालयिक सेवा नियम, 1965- नियम 4- परंतु- जिला परिषदों और पंचायत समितियों- कर्मचारियों की व्याख्या- वरिष्ठता और पदोन्नति- पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य बनाया गया- परीक्षण कर्मचारियों को उत्तीर्ण करने के लिए समय दिया गया और बढ़ाया गया नियम जारी होने से पहले अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाना और विस्तारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना- नियम जारी होने से पहले कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया लेकिन विस्तारित अवधि से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करना- के बीच वरिष्ठता की गणना कैसे की गई।

आंध्र प्रदेश पंचायत समितियां और जिला परिषद मंत्रालयी सेवा नियम, 1965 15.3.1965 को जारी किए गए थे। उक्त नियमों का नियम 4 पंचायत समितियों और जिला परिषदों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। इस नियम के तहत

15.3.1965 से तेलंगाना क्षेत्र में कार्यरत टाइपिस्टों, लोअर डिवीजन क्लर्कों आदि के लिए अपर डिवीजन क्लर्क, अधीक्षक और प्रबंधकों के पद पर पदोन्नति के लिए अकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करना एक पूर्व शर्त बना दिया गया था। चूंकि कई कर्मचारियों ने एफ परीक्षण योग्यता हासिल नहीं की थी और उन्हें वापस भेजा जा सकता था, इसलिए सरकार ने अपने आदेश संख्या जी.ओ.एम.सं. 487 कोअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए 7.8.1967 से 7.8.1969 तक दो साल का समय दिया गया। समय- समय पर दो साल के लिए दी गई समयावधि को बढ़ाया गया और अंततः नवंबर 1974 तक। अधिसूचना संख्या जी.ओ.एम., क्रमांक 822 पी.और. दिनांक 22.8.1977 द्वारा नियम 4 में संशोधन किया गया। संशोधित नियम के पहले प्रावधान में यह प्रावधान किया गया था कि अपर डिवीजन क्लर्क और ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में सेवाएं, जिन्हें 15.3.1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क और वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन 30 नवंबर, 1974 से पहले अकाउंट टेस्ट पास कर लिया था उनकी पहली अस्थायी पदोन्नति की तारीख से या उसके बाद की तारीख से नियमित किया जाएगा। दूसरे प्रावधान के तहत इस तरह के नियमितीकरण से वरिष्ठता और उच्च पदों पर पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी, जो 07.08.1967 से पहलेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के अनुसार आदेशित हो।

7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के साथ।

अपीलकर्ताओं को जिन्हें शुरुआत में जिला परिषदों में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें 1960 से 1963 के दौरान अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 7.3.1967 के बाद लेकिन नवंबर, 1974 से पहले अकाउंट टेस्ट पास किया था। उत्तरदाताओं को 1965 से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्होंने 7.8.1967 से पहले टेस्ट पास कर लिया। वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं से ऊपर रखा गया और उचित समय पर अधीक्षक और प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। उत्तरदाताओं ने इस आधार पर अपीलकर्ताओं पर वरिष्ठता और पदोन्नति का दावा किया कि उन्होंने 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट पास किया है, जबकि अपीलकर्ताओं ने 7.8.1967 के बाद टेस्ट पास किया है और इसलिए वे अपीलकर्ताओं से पहले उच्च पदों पर पदोन्नति के हकदार थे।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं के दावे को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि जो व्यक्ति 7.8.1967 तक योग्य नहीं थे और जिन्हें 22.8.1977 की अधिसूचना का लाभ मिला, उन्हें 7.8.1977 से पहलेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों से कनिष्ठ माना जायेगा। अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य थे,

भले ही ऐसे व्यक्तियों को 22.8.1977 तक नियमित रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर नियुक्त किया गया था या नहीं।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा नियम 4 के दूसरे प्रावधान पर दी गई व्याख्या गलत है; (2) चूंकि निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय दिया गया था, इसलिए जिन अपीलकर्ताओं कोअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने से पहले पदोन्नत किया गया था, उन्हेंअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने पर पहली नियुक्ति के समय भी योग्य माना जाएगा; (3) कि उत्तरदाताओं को भी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था और विस्तारित समय से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने से उन्हें वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिला, जबकि वे लोअर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में अपीलकर्ताओं के जूनियर थे।

अपीलों का निपटान करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. दूसरा प्रावधान G.O.Ms.No. 822 P.R. दिनांक 22.8.1977 जारी करने का सरकार की मंशा केवल उन लोगों की रक्षा करना है जिन्होंने 7.8.1967 से पहलेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण की है और जिनकी सेवाएँ अपर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में हैं को नियमित किया गया और उच्च पद पर 22.8.1977 तक पदोन्नत किया गया इसका उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं है, जिन्हें 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट पास करने के

बावजूद नियमित या पदोन्नत नहीं किया गया है। दूसरे परंतुक में महत्वपूर्ण शब्दों में 7.8.1967 से पहलेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के अनुसार वरिष्ठता और उच्च पदों पर पदोन्नति का आदेश दिया गया, जिसमें 7.8.1967 से पहले अर्जित परीक्षण योग्यता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के आदेश पर विचार किया गया। यदि पदोन्नति का आदेश नहीं हुआ होता, तो 7.8.1967 से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से उन अपर डिवीजन क्लर्कों को उस श्रेणी से अधिक वरिष्ठता नहीं मिल जाती, जिस श्रेणी को रियायत दी गई थी।

[876 डी- ई, 873 एफ- जी]

2. विभिन्न सरकारी आदेशों के आलोक में परंतुक को पढ़ने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक 15.3.1965 से पहले पदोन्नत हुए अपर डिवीजन क्लर्क को 7.8.1965 से पहले परीक्षण योग्यता प्राप्त करने पर नियमित कर उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, तब तक उन्हें उन लोगों पर वरिष्ठता नहीं मिलती है जिन्होंने 7.8.1967 के बाद परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन दिए गए समय के भीतर और बाद वाले अपने कनिष्ठों के पक्ष में अपनी वरिष्ठता नहीं खोते हैं जिन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षण योग्यता हासिल कर ली है।[876 एफ- जी]

3. वे अस्थायी अपर डिवीजन क्लर्क, जो परीक्षण योग्यता के अभाव में पदावनत किए जा सकते थे और जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए

समय बढ़ाकर रियायत प्रदान की गई थी, वे अपनी पहली अस्थायी नियुक्ति या अनुवर्ती तारीख सेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने पर नियमित होने के हकदार थे उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना जिन्होंने 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने पर नियमों के अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति हासिल की थी। इस प्रकार प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अधिकार के रूप में अस्थायी अपर डिवीजन क्लर्क जो वापस भेजे जाने योग्य थे, लेकिन यदि उन को रियायत दी गई थी और दिए गए समय के भीतर अकाउंट टेस्ट पास कर लिया था, तो वे उन व्यक्तियों पर अपनी वरिष्ठता बनाए रख सकते थे, जिन्हें परीक्षण योग्यता के आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया। जिस पश्चात्कथित पत्र श्रेणी को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका था, उसे पूर्व से वरिष्ठ माना जायेगा। इन प्रावधानों की कोई अन्य व्याख्या दूसरे प्रावधान को निरर्थक बना देगी। [873 एच, 874 ए- सी]

4. अकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति स्वचालित रूप से नियमित नहीं हो जाती। व्यक्तियों को जिन्हें पहले अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था, उन्हें योग्य होने हेतु रियायत दी गई और जब उन्होंने ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली तो वे उसी पद पर आसीन हो गये जैसे उन्होंने पहले परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे मालमे में नियमतीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख के संदर्भ में नहीं होकर पहली पदोन्नति की तारीख से प्रभावी होगा। [877 बी- सी]

5. नियम 4 के प्रावधान के उत्तरार्ध के तहत सुरक्षा इन अपर डिवीजन क्लर्कों को उपलब्ध है जो कनिष्ठ थे और जिन्होंने परीक्षण योग्यता भी हासिल कर ली थी और नियमित आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत हुए थे, हालांकि उनके वरिष्ठ ने सरकार द्वारा अनुमत समय के भीतर परीक्षण योग्यता हांसिल कर ली थी। हालाँकि, ऐसी सुरक्षा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो अपर डिवीजन क्लर्क की एक ही श्रेणी में बने रहे और अपीलकर्ताओं के बाद उन्हें अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, जबकि उन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षा उत्तीर्ण की थी। [877 एफ- जी]

चंद्रकांत बनाम गुजरात राज्य, [1977] 2 ऐसे.एल.और. 605, संदर्भित

6. ट्रिब्यूनल ने दिनांक 7.8.1967 के सरकारी आदेश के आलोक में परंतुक के वास्तविक दायरे को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे परंतुक में दी गई सुरक्षा को उन सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू कर दिया, जिन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षण योग्यता हासिल कर ली थी, निरपेक्ष तथ्य यह है कि उन्हें 1977 से पहले नियमित किया गया था और उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया था। उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में सभी मामलों में वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और अपीलकर्ताओं को परिणामी राहत दी जाएगी। [876 एफ, 878- ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1984/4085 और 4086।

आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के और.पी. संख्या 51/77 और 1981 के और.पी. संख्या 451 में निर्णय और आदेश दिनांक 10.7.1984 से।

साथ में

सी.ए. क्रमांक 1303/88, 3347 और 3350/83, 3192/85 और 1808/92।

के. माधव रेड्डी, जी. प्रभाकर, सुश्री. मालिनी पोडुवल, बी. कांता राव, सी.ऐसे. पांडा, ए. सुब्बा राव और और.एन. केशवानी उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का फैसला फातिमा बीवी, जे. द्वारा सुनाया गया। विशेष अनुमति प्रदान की गई।

ये अपीलें आंध्र प्रदेश पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मंत्रिस्तरीय वरिष्ठता एवं पदोन्नति के संबंध में सेवा नियम 1965 की व्याख्या से जुडे समान प्रश्न उठाती है।

आंध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के अधीन नियम G.O.Ms.No 303 पी.और. दिनांक 15.3.1965 के तहत जारी किए गए थे। इस सेवा में पदों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं -

श्रेणी i: प्रबंधक आदि जिला परिषदें।

श्रेणी ii: जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अधीक्षक।

श्रेणी III: सचिवीय सहायक, राजस्व अधिकारी, बंदोबस्ती अधिकारी, जिला परिषदों और पंचायत समितियों में अपर डिवीजन क्लर्क और वरिष्ठ लेखाकार।

श्रेणी IV: ऋण निरीक्षक, लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट- सह- स्टोर कीपर आदि।

नियम 3 जहां तक सामग्री इस प्रकार है:-

3. नियुक्तिः- नीचे कॉलम (1) में निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए नियुक्ति उसके कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट विधि द्वारा की जाएगी।

वर्ग	नियुक्ति की विधि
1	2
I. (i) और (ii) जिला परिषद और पंचायत श्रेणी 2 द्वारा पदोन्नत समिति के प्रबंधक	
II. अधीक्षक, जिला परिषद और पंचायत श्रेणी 3 से, वर्ग (i) से लेकर समिति (iv) द्वारा पदोन्नत	

III. वर्ग (i) से (iv) श्रेणी 5 के वर्ग (i) से (iv) द्वारा पदोन्नत

नियम 4 विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। इस नियम के तहत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए सामान्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अकाउंट टेस्ट या समकक्ष टेस्ट जो निर्दिष्ट श्रेणियों 1, 2 व 3 के विरूद्ध निधार्रित है।

चूंकि अकाउण्ट टेस्ट 15.3.1965 से तेलंगाना क्षेत्र में कार्यरत पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के लिए एक नया परीक्षण बन गया, इसलिए सरकार ने 7.8.1967 से 7.8.1969 तक दो साल का समय दिया जिससे उन्हें अकाउंट टेस्ट पास करने में सक्षम करे। 1969 में इस अवधि को दो साल के लिए और 1971 में और दो साल के लिए बढ़ा दिया गया। अंत में, नियम में ही संशोधन किया गया और समय को नवंबर 1974 तक बढ़ा दिया गया।

संशोधित नियम 4 का प्रावधान इस प्रकार है:-

> "बशर्ते कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में काम करने वाले ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों का अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी में सेवाएं, जिन्हें 15 मार्च, 1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क और वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन 30 नवंबर, 1974 से पहले निर्धारित अकाउंट टेस्ट पास कर लिया गया

था। यानि कि सरकार द्वारा समय- समय पर जारी कार्यकारी आदेशों द्वारा दिये गये समय के भीतर उन्होंने उक्त अकाउण्ट टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो उन्हें उनकी पहली अस्थायी पदोन्नति की तारीख से या बाद की तारीख से नियमित किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि पूर्वगामी प्रावधानों के तहत सेवा के नियमितीकरण से 7 अगस्त, 1967 से पहले उक्तअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के अनुसार वरिष्ठता और उच्च पदों पर पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी।"

1984 की सिविल अपील संख्या 4085 और 4086 में अपीलकर्ताओं को 1959 से 1961 की अवधि के दौरान जिला परिषद, मेदक में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1960 से 1963 की अवधि के दौरान अपर डिवीजन क्लर्क की नियमित रिक्तियों पर पदोन्नत किया गया था। उत्तरदाताओं को 1965 से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

जिन अपीलकर्ताओं को 15.3.1965 से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्होंने 7.8.1967 के बाद विस्तारित अवधि के भीतर अकाउंट टेस्ट पास कर लिया। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने 7.8.1967 से पहले परीक्षा उत्तीर्ण करके योग्यता हासिल कर ली थी।

अपीलकर्ताओं को उचित समय पर अधीक्षक और प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया।

अपर डिवीजन क्लर्क की वरिष्ठता सूची कार्यवाही दिनांक 5.6.1975 द्वारा तैयार की गई थी। वरिष्ठता सूची में अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं से ऊपर रखा गया था। फरवरी 1976 में, अपीलकर्ता नंबर 1 को दो अन्य के साथ अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें प्रबंधकों के रूप में पदोन्नत किया गया। 1.7.1976 को अपीलकर्ता संख्या 2 और अपीलकर्ता संख्या 3 को अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। अपीलकर्ताओं को दी गई पदोन्नति की कार्यवाही को उत्तरदाताओं द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 1977 की और.पी. नंबर 51 दाखिल करके इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने 1966- 1967 मेंअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण की है, जबकि अपीलकर्ताओं ने 1967 के बाद ही उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसलिए, उत्तरदाता अपीलकर्ताओं से पहले उच्च पदों पर पदोन्नति के हकदार थे। इसी तरह की याचिकाएं अन्य पक्षों ने भी दायर की थी। अपीलकर्ताओं ने 1981 की और.पी. नंबर 451 के रूप में एक याचिका भी दायर की, जिसमें राहत की मांग की गई कि अपर डिवीजन क्लर्कों की तय की गई अंतिम वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी न की जाए और उस आधार पर दी गई पदोन्नति में भी गड़बड़ी न की जाए। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 10.7.1984 के एक सामान्य निर्णय द्वारा इन याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

प्रतिवादियों की याचिका को ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि जो व्यक्ति 7.8.1967 तक योग्य नहीं थे और जिन्हें G.O.Ms.No 822 पी.और. दिनांक 22.8.1977 के तहत जारी संशोधन का लाभ मिला, उन्हें उन लोगों से कनिष्ठ माना जाएगा जो 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट पास करने वाले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य थे, भले ही ऐसे व्यक्तियों को 22.8.1977 तक नियमित रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर नियुक्त किया गया हो या नहीं।

ट्रिब्यूनल ने यह तर्क अपनाया कि जिस व्यक्ति ने अकाउंट टेस्ट पास कर लिया है, वह अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने का हकदार है और जिस व्यक्ति ने ऐसा अकाउंट टेस्ट पास नहीं किया है, उसे तब तक ऐसी नियमित नियुक्ति का हकदार नहीं माना जा सकता जब तक कि वे अकाउंट टेस्ट पास नहीं कर लेते या अकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने से छूट दी गई हो। ट्रिब्यूनल ने माना कि परीक्षण योग्यता के कारण ऐसे व्यक्ति नियमित नियुक्ति के लिए पात्र थे और जिन्होंने योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें 7.8.1967 तक अयोग्य व्यक्ति माना जाएगा, जिस दिन उन्हें आवश्यक रियायतें देने वाले प्रासंगिक आदेश जारी किए गए थे। इस दृष्टि से, ट्रिब्यूनल द्वारा उसके समक्ष सभी याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई थी। ट्रिब्यूनल के निर्णय से व्यथित होकर, इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति पर अपील दायर की गई है। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान

अधिवक्ता ने हमें सरकार के आदेश प्रासंगिक नियम और अन्य महत्वपूर्ण कागजात और न्यायाधिकरण के निर्णय से अवगत कराया।

उन्होंने तर्क दिया कि अन्य सरकारी आदेशों के आलोक में ट्रिब्यूनल द्वारा नियम 4 के दूसरे प्रावधान पर दी गई व्याख्या गलत है कि अपर डिवीजन क्लर्कों के कैडर में पदोन्नति के लिए परीक्षण योग्यता निर्धारित करने के बाद योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। जिन अपीलकर्ताओं कोअकाउंट टेस्ट पास करने से पहले पदोन्नत किया गया है, उन्हेंअकाउंट टेस्ट पास करने पर पहली नियुक्ति के समय भी योग्य माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तरदाताओं को भी परीक्षा योग्यता प्राप्त करने से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था और केवल इसलिए कि उन्होंने सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने से पहले परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इससे उन्हें वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिला जब वह लोअर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में अपीलकर्ताओं से कनिष्ठ रहे। यह भी बताया गया है कि 1975 में अंतिम रूप दी गई वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी और उस सूची के आधार पर की गई पदोन्नति को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि जब तक अपीलकर्ताओं ने अकाउंट टेस्ट पास नहीं कर लिया, तब तक वे अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत होने के लिए योग्य नहीं थे। उनकी अस्थायी पदोन्नति ने उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया और उनकी नियमित नियुक्ति केवल तभी मानी जा सकती है जब

उन्होंने अकाउंट टेस्ट पास कर लिया हो और उस तारीख के बाद जिस दिन उत्तरदाताओं ने खुद को योग्यता प्राप्त की हो, उन्होंने अपनी वरिष्ठता खो दी और इसलिए, न्यायाधिकरण अपने निष्कर्षों में सही था।

इन तर्कों की सराहना करने के लिए प्रासंगिक सरकारी आदेशों का संदर्भ लेना आवश्यक है। नियम 4 का परंतुक अपर डिवीजन क्लर्क और ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में सेवा से संबंधित है, जिन्हें 15.3.1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन 30 नवंबर 1974 से पहले अकाउंट टेस्ट पास किया और उन्हें उनकी प्रथम अस्थायी पदोन्नति की तिथि से या उसके बाद की तिथि से नियमित किया जायेगा। इस तरह के नियमितीकरण से 7 अगस्त, 1967 से पहले उक्तअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के अनुसार आदेशित वरिष्ठता और उच्च पदों पर पदोन्नति प्रभावित नहीं करेगी।

आंध्र प्रदेश पंचायत समितियां और जिला परिषद अधिनियम 1959 दिनांक 18.9.1959 को लागू हुआ। नियम 4 के तहत जिला कैडर स्टाफ में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के सेवक शामिल हैं। समान पदों के लिए शासन द्वारा निर्धारित योग्यता का पालन G.O.Ms.No 2107 दिनांकित 2.8.1961 तेलंगाना के अनुसार किया गया नियुक्तियां जो 1.12.1959 के बाद जिला चयन समिति द्वारा की गई, उन्हें नियमित माना

जायेगा और नियमों के जारी करने के बाद उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा और पहली नियुक्ति की तारीख के आधार पर नियमों के जारी होने तक आपातकालीन आधार पर पदोन्नति की जा सकती है। आंध्र प्रदेश पंचायत समिति और जिला परिषद मंत्रिस्तरीय सेवा नियम 15.3.1965 को अधिनियम की धारा 60 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा लागू किए गए थे। योग्यताएँ नियम 4 में निर्धारित हैं। अकाउंट टेस्ट 153.1965 से तेलंगाना क्षेत्र में कार्यरत पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य हो गया।

1984 की सिविल अपील संख्या 4085 और 4086 में अपीलकर्ताओं को जिला चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर 1958 से 1961 की अवधि के दौरान पंचायत समितियों और जिला परिषदों, मेदक में लोअर सी डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। ये अपीलकर्ता 1 से 9 बकर हुसैन, अमीरुद्दीन, ऐसे. विट्ठल, गौसुद्दीन, सी.एच. जगन्नाथम, जी. तुलसीदास, वाई. विट्ठल दास, मल्लैया गुप्ता और जे. जनार्दन रेड्डी को 1960 से 1963 की अवधि के दौरान अपर डिवीजन क्लर्क की नियमित रिक्तियों पर पदोन्नत किया गया था। जो नियम 15.3.1965 को लागू हुए उनसे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये अकाउंट टेस्ट निर्धारित किया गया। इन अपीलकर्ताओं ने 7.8.1967 के बाद लेकिन नवंबर 1974 से पहलेअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण की।

उत्तरदाता वेंकटेशम और बलैया को क्रमशः 16.11.1964 और 21.10.1963 को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। वेंकटेशम ने 1966 में अकाउंट टेस्ट पास किया और बलैया ने 1967 में अकाउंट टेस्ट पास किया।

बकर हुसैन को जाकिर हुसैन और श्रीनिवास राव के साथ अधीक्षक के रूप में 7.2.1976 को पदोन्नत किया गया था। उन्हें 1.7.1967 को प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। अमीरुद्दीन को भी प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया। इन पदोन्नतियों पर उत्तरदाताओं द्वारा इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि उन्होंने इन व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा किया है कि उन्होंने 1966 और 1967 में अकाउंट टेस्ट पास किया है।

1983 की सिविल अपील संख्या 3347 और 3350 में, उत्तरदाताओं ने दिनांक 28.1.1976 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी।

1988 की सिविल अपील संख्या 13003 और.पी.नं. 1978 का 242 से उत्पन्न होती है। अपीलकर्ताओं को 1957 से 1959 की अवधि के दौरान लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और नियम लागू होने से पहले 1961 से 1964 के बीच अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। अपीलकर्ताओं की पदोन्नति के बाद व नियम लागू होने के बाद उत्तरदाताओं को अपर डिवीजन क्लर्क पर पदोन्नत किया गया।

उत्तरदाताओं ने 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट पास कर लिया था। अपीलकर्ताओं को 1978 से 1982 की अवधि के दौरान अधीक्षक और प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

G.O.Ms.No 2107 दिनांकित 2.8.1961 द्वारा, सरकार द्वारा निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश पंचायत समिति अधिनियम 1959 के तहत प्रत्येक पद के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले नियमों के लंबित रहने तक, विभिन्न जिला बोर्डों में प्राप्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यह भी आदेश दिया गया कि जहां भी जिला संवर्ग में शामिल किसी भी पद के संबंध में ऐसे जिला बोर्ड नियम उपलब्ध नहीं हैं जैसे कि पंचायत समितियों और जिला परिषद उनमें समान पद के लिए निर्धारित योग्यताओं का पालन किया जाना चाहिए। आंध्र क्षेत्र में, आंध्र जिला बोर्ड नियमों के तहत, लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए स्थानीय निकाय कर्मचारियों के लिए अकाउंट टेस्ट निर्धारित किया गया था। तेलंगाना क्षेत्र में, लोअर डिवीजन क्लर्कों को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए पूर्व अपेक्षित योग्यता के रूप में ऐसा कोई अकाउंट टेस्ट निर्धारित नहीं किया गया था। सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए थे कि लोअर डिवीजन क्लर्क या निचली श्रेणी के जूनियर अकाउंटेंट को तेलंगाना क्षेत्र में पंचायत समितियों और जिला

परिषदों में अपर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए अकाउंट टेस्ट पास करना होगा।

15.3.1965 से, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिएअकाउंट टेस्ट या सामान्य योग्यता के अतिरिक्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आंध्र प्रदेश पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों में टाइपिस्टों व लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अपर डिवीजन क्लर्क, अधीक्षक, प्रबंधक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित किया गया था। इस प्रकार परीक्षण 15.3.1965 से तेलंगाना क्षेत्र में अनिवार्य हो गया।

नियमों के जारी होने से पहले अपीलकर्ताओं सहित कुछ कर्मचारियों को जारी आदेशों और सामान्य नियमों के अनुसार अस्थायी आधार पर अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनमें से अधिकांश ने अकाउंट टेस्ट योग्यता हासिल नहीं की थी और इसलिए, उन्हें वापस किया जा सकता है। सरकार ने प्रश्न की जांच की और G.O.Ms.No 487 दिनांकित 7.8.1967 द्वारा निर्देश दिया गया कि आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष का समय नियमों के तहत निर्धारित परीक्षण पास करने हेतु उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्हें अकाउंट पास करने के नियम जारी होने से पहले अपर डिवीजन क्लर्क में पदोन्नत किया गया था। आगे यह भी प्रावधान किया गया कि संदर्भित कर्मचारियों की सेवाआें में से

अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में उनकी संदर्भित नियुक्ति की तारीख से नियमित किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने दो साल की अनुमति के समय के भीतर अकाउंट टेस्ट पास कर लिया हो, और अन्य जो अनुमति दिए गए समय के भीतर उपरोक्त योग्यता हासिल नहीं करते हैं, उन्हें प्रत्यावर्तित किया जावे। यह रियायत उन कर्मचारियों पर लागू नहीं थी जिन्हें 15.3.1965 के बाद पदोन्नत किया गया था। आगे यह निर्देश दिया गया कि 15.3.1965 को या उससे पहले 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों कोअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी, और जब छूट दी जाएगी तो वे ऐसी योग्यता हासिल करने वाले अन्य लोगों के साथ पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। समय- समय पर दो वर्षों के लिए दिए गए समय को बढ़ाया गया और अंततः नवंबर 1974 तक बढ़ा दिया गया। 22.8.1977 को एक अधिसूचना जारी की गई और प्रावधान सी डाला गया जो इस प्रकार हैः-

> "बशर्ते कि हैदराबाद, आदिलाबाद, मेदक, वारंगल, निज़ामाबाद, खम्मम, नलगोंडा, करीमनगर जिलों में पंचायत समितियों और जिला परिषदों में काम करने वाले ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों की अपर डिवीजन क्लर्कों की श्रेणी में सेवाएँ 15 मार्च, 1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क और वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन 30 नवंबर, 1974 से पहले निर्धारितअकाउंट

टेस्ट उत्तीर्ण की थी यानि कि उक्तअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए सरकार द्वारा समय- समय पर जारी कार्यकारी आदेशों द्वारा उन्हें दिए गए समय के भीतर उनकी पहली अस्थायी पदोन्नति की तारीख से या बाद की तारीख से नियमित किया जाएगा।"

"परंतु यह भी कि पूर्वगामी प्रावधान के तहत सेवाओं के नियमितीकरण से 7 अगस्त, 1967 से पहले उक्तअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण करने वालों के पक्ष में नियमों के अनुसार आदेशित वरिष्ठता सूची और उच्च पदों पर पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी।"

उपरोक्त दूसरी शर्त यह स्पष्ट करती है कि 15.3.1965 से पहले अस्थाई रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण, जिन्होंने निर्धारित लेखा परीक्षा दी थी, उनके पहले अस्थाई पदोन्नति की तारीख या अगली तिथि से, और उन कर्मचारियों की वरिष्ठता के अधीन होना चाहिए जो 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा पास कर नियमों के अनुसार उच्च पदों पर पदोन्नत किए गए थे। जी.ओ.एम.ऐसे. संख्या 487 दिनांक 7.8.1967 में दी गई रियायत, उन अपर डिवीजन क्लर्क के लिए थी जो केवल अस्थाई रूप से पद धारण कर रहे थे और परीक्षा योग्यता के अभाव में पद से हटाए जा सकते थे, केवल

दूसरी शर्त के अधीन। उपरोक्त दूसरी शर्त उन कर्मचारियों का जिक्र करती है जिन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा पास की थी और ऐसी योग्यता के आधार पर उन्हें नियमों के अनुसार उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया था। यह स्पष्ट रूप से उन अपर डिवीजन क्लर्क की ओर संकेत करता है जिन्हें नियमित रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनमें से उन्हें आवश्यक परीक्षा योग्यता प्राप्त करने के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था। उनकी वरिष्ठता 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा पास न करने वाले कर्मचारियों पर सुरक्षित है। जब परीक्षा योग्यता प्राप्त करने के बाद 7.8.1967 से पहले उनके पक्ष में नियमों के अनुसार उच्च पदों पर पदोन्नति का आदेश दिया गया था, तो यह शर्त लागू होती है। यहां तक कि यदि अपर डिवीजन क्लर्क ने 78.1967 से पहले परीक्षा योग्यता प्राप्त कर ली थी लेकिन उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं किए गए थे और उनके पदोन्नति से पहले अन्य व्यक्तियों ने जो अस्थाई रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किए गए थे, प्रदत्त समय के भीतर परीक्षा योग्यता प्राप्त कर ली थी, उनका पहली अस्थाई पदोन्नति की तारीख से नियमितीकरण उन्हें मूल वरिष्ठता बनाए रखने का हकदार बनाता है। वे केवल उन अपर डिवीजन क्लर्क के पक्ष में वरिष्ठता खो देते हैं जिन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा पास की थी और नियमों के अनुसार उच्च पदों पर पदोन्नत किए गए थे, भले ही वे 7.8.1967 के बाद परीक्षा पास करने वाले वर्ग से जूनियर हों लेकिन प्रदत्त समय के भीतर। यह शर्त का

प्रभाव है। यह केवल उन अपर डिवीजन क्लर्क को लाभ पहुंचाता है जो अपनी परीक्षा योग्यता के बल पर उच्च पदों पर पदोन्नत हुए हैं। जब तक ऐसे पदोन्नतियों का आदेश नहीं दिया गया था, वे उन लोगों की श्रेणी में ही रहे, जिन्हें नवंबर 1974 तक रियायत दी गई थी। इन दो श्रेणियों के बीच की आपसी वरिष्ठता तब तक प्रभावित नहीं होती जब तक कि उनकी पदोन्नति नहीं हो जाती। दूसरे प्रतिबंध के महत्वपूर्ण शब्द 'वरिष्ठता और उन लोगों के पक्ष में उच्च पदों पर पदोन्नतियाँ जो नियमों के अनुसार 7.8.1967 से पहले अकाउंट टेस्ट पास कर चुके थे' ने 7.8.1967 से पहले हासिल की गई परीक्षा योग्यता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के आदेश की कल्पना की थी। यदि पदोन्नति का आदेश नहीं हुआ होता, तो केवल 7.8.1967 से पहले परीक्षा पास करने से उन उच्च विभाग लिपिकों को उस श्रेणी के ऊपर वरिष्ठता प्रदान नहीं होती जिन्हें रियायत दी गई थी। वे अस्थायी उच्च विभाग लिपिक जो परीक्षा योग्यता के अभाव में वापस लिए जाने के लिए उत्तरदायी थे और जिन्हें परीक्षा पास करने के लिए समय बढ़ाकर रियायत दी गई थी, उन्हेंअकाउंट टेस्ट पास करने पर अपनी पहली अस्थायी नियुक्ति की तारीख या उसके बाद की तारीख से नियमित करने का हकदार माना जाता है, बिना उन व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रभावित किए जिन्होंने 7.8.1967 से पहलेअकाउंट टेस्ट पास करने पर नियमों के अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति हासिल की थी। प्रतिबंध स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि अस्थायी उच्च विभाग लिपिक जो वापस लिए जाने के

लिए उत्तरदायी थे लेकिन उन्हें रियायत दी गई थी और उन्होंने दिए गए समय के भीतरअकाउंट टेस्ट पास कर ली थी, उन्हें उन व्यक्तियों के ऊपर अपनी वरिष्ठता बनाए रखने का अधिकार है जिन्हें उनकी परीक्षा योग्यता के वर्चस्व के आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया था। पहले से पदोन्नत हो चुकी पूर्व श्रेणी को बाद वाली श्रेणी के मुकाबले वरिष्ठ माना जाना चाहिए। इन प्रतिबंधों की किसी अन्य व्याख्या से दूसरे प्रतिबंध को अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। जो लोग 1967 से पहले परीक्षा योग्यता हासिल कर चुके थे और ऐसी योग्यता के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत हो गए थे, वे उन लोगों के ऊपर वरिष्ठता के हकदार हैं जिन्होंने 1967 के बाद परीक्षा योग्यता हासिल की और उच्च विभाग लिपिकों के कैडर में नियमित किए गए थे, भले ही उनकी पहली नियुक्ति। उच्च विभाग लिपिकों के रूप में पूर्व श्रेणी के लोगों के पहले होने के बावजूद। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अपर डिवीजन क्लर्क जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षा योग्यता प्राप्त कर ली थी परन्तु वरिष्ठों द्वारा परीक्षा योग्यता प्राप्त किए जाने पर भी अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में बने रहे, उन्हें अपर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में वरिष्ठता का अधिकार होगा जब तक कि उन्हें नियमितीकरण के नियमों के अनुसार उच्चतर पद पर पदोन्नति नहीं दी गई हो।

श्री ऐसे.के. यूसुफुद्दीन और जिला परिषद, करीमनगर के सात अन्य कर्मचारियों ने उन कुछ कनिष्ठों पर वरिष्ठता का दावा किया, जिन्होंने 1965 से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नत किए गए वरिष्ठों से

पहले अकाउंट टेस्ट योग्यता हासिल की थी और जिन्होंने सरकार की ओर से दिए गए विस्तारित समय के भीतरअकाउंट टेस्ट उत्तीर्ण कर ली थी। इसी तरह, एम.ए. सलीम और करीमनगर जिला परिषद के छह अन्य कर्मचारियों ने उन कनिष्ठों पर वरिष्ठता का दावा किया, जिन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

प्रश्न की जांच के बाद सरकार ने दिनांक 23.1.1978 के आदेश द्वारा इस प्रकार कहा:-

> "जी.ओ.एम. संख्या 822 पी.आर. दिनांक 22.8.1977 में जारी संशोधन के अनुसार, तेलंगाना क्षेत्र में निम्न खण्ड के लिपिकों की सेवा, जो 15.3.1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क और वरिष्ठ लेखाकार के रूप में पदोन्नत किए गए थे परंतु 30.11.1974 अर्थात् सरकार द्वारा प्रदत्त समय के भीतर निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की, उनकी सेवाओं को उनके पहले अस्थायी पदोन्नति की तारीख से या उसके बाद की तारीख से नियमित किया जाएगा। बशर्ते कि सेवाओं की नियमितता से उन लोगों की वरिष्ठता और उच्च पद पर पदोन्नति, जिन्होंने कहा लेखा परीक्षा 7.8.1967 से पहले उत्तीर्ण की, नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। इसका अर्थ है कि लोअर डिवीजन

क्लर्क, जो 15.3.1965 को नियमों के जारी होने से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किए गए थे परंतु बाद में 30.11.1974 से पहले लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्हें अपनी सेवाओं को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का हक है। परंतु फिर भी ऐसे कर्मचारियों पर, जो 15.3.1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किए गए थे परंतु लेखा परीक्षा 7.8.1967 से पहले उत्तीर्ण की और जिन्हें नियमों के अनुसार उच्च पदों पर भी पदोन्नति मिली है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

इस दृष्टिकोण से, सरकार ने निर्देश दिया कि श्री यूसुफुद्दीन, प्रबंधक, जिन्हें 3.5.1961 को अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नति दी गई थी और जिन्होंने मई 1967 में लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की और जिन्हें प्रबंधक के रूप में भी पदोन्नति दी गई थी, उनकी सेवाओं को 3.5.1961 से अपर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में और उनके प्रबंधक के रूप में पदोन्नति की तारीख से प्रबंधकों की श्रेणी में भी नियमित किया जाए क्योंकि वह उस तारीख को पद के लिए पूर्ण रूप से योग्य थे जैसा कि जी.ओ.एम. संख्या 822 पी.और. दिनांक 22.8.1977 में जारी संशोधन में कहा गया है। इसके अतिरिक्त निर्देश दिया गया कि अन्य लोगों की सेवाओं को जिन्हें श्री ऐसे.के. यूसुफुद्दीन से पहले अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में

पदोन्नति दी गई थी परंतु जिन्होंने 7.8.1967 के बाद समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की और जिन्हें प्रबंधकों के उच्च पद पर पदोन्नति दी गई, उन्हें भी 3.5.1961 से नियमित किया जाए अर्थात जिस तारीख को श्री ऐसे.के. यूसुफुद्दीन की सेवाओं को नियमित किया जाना है और उन्हें अपर डिवीजन क्लर्क की वरिष्ठता में यूसुफुद्दीन के नीचे रखा जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि अन्य लोअर डिवीजन क्लर्क की सेवाएं, जिन्हें 15.3.1965 से पहले अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन जिन्होंने बाद में 30.11.1974 से पहले लेखा परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था और जिन्हें अधीक्षक और प्रबंधक जैसे उच्च पदों पर संशोधन जारी होने की तिथि पर पदोन्नत नहीं किया गया था। उन्हे पहले से पदोन्नत व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने की तिथि से नियमित किया जाए। 15.3.1965 से पहले पदोन्नत हुए इन अस्थायी उच्च खण्ड लिपिकों की सेवाओं को नियमित करने के बाद, 15.3.1965 के बाद पदोन्नत हुए लोगों की सेवाओं को नियमित किया जाए।

प्रत्यर्थीगण वेंकटेशम और बलैया ने इस आधार पर वरिष्ठता का दावा किया कि उन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था।

इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या वरिष्ठता के संबंध में दूसरे परंतुक द्वारा दी गई सुरक्षा उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो 22.8.1977 को अपर डिवीजन क्लर्क का पद धारण कर रहे थे।

दी गई सुरक्षा केवल उन नियमित अपर डिवीजन क्लर्क पर लागू होती है, जिन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है और उच्च पदों पर पदोन्नत हुए हैं, न कि उन अपर डिवीजन क्लर्क पर, जिन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और उच्च पदों पर पदोन्नत नहीं हुए हैं।

सरकार की मंशा. जी.ओ.एम. क्रमांक 822 पी.आर. दिनांक 22.8.1977 में दूसरा परंतुक जारी करने में केवल उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जिन्होंने 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी और जिनकी अपर डिवीजन क्लर्क की श्रेणी में सेवाएं 22.8.1977 तक नियमित कर उच्च पदों पर पदोन्नत कर दी गई थीं। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना नहीं है, जिन्हें 7.8.1967 से पहले लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नियमित या पदोन्नत नहीं किया गया है।

अधिकरण ने याचिकाओं के निपटारे में सरकारी आदेश दिनांक 7.8.1967 के आलोक में प्रावधान के वास्तविक दायरे को नजरअंदाज कर दिया है और उन सभी व्यक्तियों पर दूसरे प्रावधान में दी गई सुरक्षा को समान रूप से लागू कर दिया है, जिन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षण

योग्यता हासिल कर ली थी। इस तथ्य के बावजूद कि 1977 से पहले उन्हें नियमित किया गया था और उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था। विभिन्न सरकारी आदेशों के आलोक में प्रावधान को पढ़ने पर, यह बहुत स्पष्ट है कि जब तक अपर डिवीजन क्लर्क को 15.3.1965 से पहले पदोन्नत नहीं किया गया था। 7.8.1967 से पहले परीक्षण योग्यता प्राप्त करने पर उन्हें नियमित किया जाता है और उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, उन्हें 7.8.1967 के बाद लेकिन दिए गए समय के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों पर वरिष्ठता नहीं मिलती है, और बाद वाले के पक्ष में उनके कनिष्ठ जिन्होंने 7.8.1967 से पहले परीक्षण योग्यता हासिल कर ली थी से उनकी वरिष्ठता नहीं खोती है। अधिकरण ने फैसले के पैरा 93 में इस प्रकार कहा है: -

> "परिणामस्वरूप ये व्यक्ति जो 78.1967 तक योग्य नहीं थे और जिन्हें जी.ओ.एम. संख्या 822 दिनांक 22.8.1977 के तहत जारी संशोधन का लाभ मिला, उन्हें उन लोगों से कनिष्ठ माना जाएगा, जिन्होंने 78.1967 से पहले लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यू.डी.सी. के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए पूरी तरह से योग्य, भले ही ऐसे व्यक्तियों को यू.डी.सी. के पद पर 22.8.1977 तक नियमित रूप से नियुक्त किया गया हो या नहीं।"

हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति स्वचालित रूप से नियमित नहीं हो जाती। जिन लोगों को पहले अस्थाई तौर पर पदोन्नति दी गई थी, योग्यता प्राप्त करने के लिए रियायत दी गई और जब उन्होंने ऐसी योग्यता हासिल कर ली तो वे उसी स्थिति में आ गए, जिन्होंने पहले परीक्षा उत्तीर्ण की थी। नियमितीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में पहली पदोन्नति की तारीख से प्रभावी है। बाद की तारीख से प्रभावी नियमितीकरण केवल उन मामलों में है जहां कनिष्ठों को उनकी परीक्षण योग्यता के आधार पर पहले ही उच्च पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है। ऐसे मामलों में, जिस तारीख को ऐसे कनिष्ठों को नियमित किया जाता है, वह बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वरिष्ठों के नियमितीकरण के लिए प्रासंगिक तारीख होगी (परंतुक में उल्लिखित बाद की तारीख केवल ऐसे मामलों को कवर करती है)। एक बार जब दोनों श्रेणियां योग्य हो जाती हैं और नियमित होने और पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य हो जाती हैं, तो वे एक ही धारा में और सभी मामलों में बराबर हो जाते हैं, फिर वे एक ही वर्ग के हो जाते हैं। एक बार जब अपीलकर्ता नियमों के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र हो जाते हैं, तो वे चंद्रकांत बनाम गुजरात राज्य, [1977] 2 ऐसेएलऔर 605 के तहत वरिष्ठता के अनुसार अन्य लोगों के समान कतार में खड़े हो जाते हैं।

हम अधिकरण से सहमत हैं कि नियम 4 के परंतुक के उत्तरार्ध के तहत सुरक्षा उन अपर डिवीजन क्लर्क को उपलब्ध है जो कनिष्ठ थे और जिन्होंने परीक्षण योग्यता भी हासिल कर ली थी और नियमित आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत हुए थे। हालाँकि उनके वरिष्ठों ने सरकार द्वारा अनुमत समय के भीतर परीक्षण योग्यता हासिल कर ली। हालाँकि, हम मानते हैं कि ऐसी सुरक्षा उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो अपर डिवीजन क्लर्क की एक ही श्रेणी में बने रहे और अपीलकर्ताओं के बाद उन्हें अस्थायी रूप से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था, हालांकि उन्होंने 78.1967 से पहले परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

हम तदनुसार अधिकरण के फैसले को इस हद तक संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि इन सभी मामलों में हमारे निष्कर्षों के आलोक में वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और निर्देश दिया जाता हैं कि इन सभी मामलों में अपीलकर्ताओं को परिणामी राहत दी जाए। उपरोक्तानुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है। मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

टी.एन.ए.

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रश्मि नवल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।